## 'घरेलू दुर्व्यवहार' की कानूनी परिभाषा’

## तथ्यपत्र

**कानून में क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं?**

एनएसडब्ल्यू सरकार 1 फरवरी 2024 से 'घरेलू दुर्व्यवहार' की कानूनी परिभाषा प्रस्तुत कर रही है।

कानून यह निर्दिष्ट करेगा कि 'घरेलू दुर्व्यवहार' घरेलू संबंधों में कोई भी व्यवहार (कार्यकलापों सहित) है जो:

* हिंसक है
* धमकाने वाला है
* जबरदस्ती या नियंत्रित करने वाला है
* व्यक्ति को अपनी सुरक्षा या दूसरों की सुरक्षा के प्रति डर उत्पन्न करता है।

यह परिभाषा क्राईम्स (घरेलू और व्यक्तिगत हिंसा) एक्ट 2007 में सम्मिलित कर दी जाएगी।

**कानूनी परिभाषा क्यों प्रस्तुत की जा रही है?**

यह परिभाषा लोगों को इस बात को समझने में सहायता करेगी कि घरेलू दुर्व्यवहार क्या होता है और लोगों को इस दुर्व्यवहार को पहचानने में सहायता करेगी। इससे यह स्पष्ट होगा कि घरेलू दुर्व्यवहार शारीरिक हिंसा से कहीं अधिक है।

|  |  |
| --- | --- |
| यह परिभाषा घरेलू और पारिवारिक हिंसा पर प्रतिक्रिया देने वाले वर्तमान कानूनों के साथ भी चलेगी। जब किसी दंडनीय अपराध में शामिल व्यवहार घरेलू दुर्व्यवहार भी हो, तो यह 'घरेलू हिंसा अपराध' होगा।घरेलू हिंसा के अपराधों पर प्रतिक्रिया करने के लिए कानूनी सुरक्षा और शक्तियाँ उपलब्ध हैं, जिनमें आंशकित घरेलू हिंसा आदेश (एडीवीओ), पुलिस अन्वेषण शक्तियाँ, शिकायतकर्ताओं के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा और सज़ा संबंधी संभावनाएँ शामिल हैं। | आशंकित घरेलू हिंसा आदेश बनाने के लिए, यह साबित किया जाना चाहिए कि यथोचित आधार पर घरेलू हिंसा अपराध होने का डर है।घरेलू दुर्व्यवहार की परिभाषा इस शर्त को नहीं बदलेगी। |

घरेलू दुर्व्यवहार की परिभाषा बलपूर्वक नियंत्रण अपराध से अलग रूप से चालू होती है, जिसे जुलाई 2024 में लागू किया जाएगा। घरेलू दुर्व्यवहार की परिभाषा का उद्देश्य समुदाय या पुलिस अधिकारी को किसी के खिलाफ़ घरेलू हिंसा का आदेश माँगने के लिए ऐसे आचरण की पहचान करने में सहायता करना है जो घरेलू हिंसा के प्रयोजनों के लिए अपराध हो सकता है। ।

## इस परिभाषा के अंतर्गत कौन से व्यवहार शामिल होंगे?

घरेलू दुर्व्यवहार की कानूनी परिभाषा में कई अलग-अलग प्रकार के व्यवहार शामिल होंगे। इसमें एक ही व्यवहार या बार-बार दोहराया जाने वाला व्यवहार शामिल हो सकता है। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

* किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक हित को जानबूझकर नुकसान पहुँचाना, जैसे, किसी का लगातार अपमान करना और उसकी आलोचना करना।
* किसी को शर्मिंदा करना, नीचा दिखाना या उसका अपमान करना जैसे, उनकी निजी जानकारी साझा करना या उन पर ऐसे चुटकुले बनाना जो उनके आत्मसम्मान और गरिमा को नुकसान पहुँचाते हैं।
* किसी को चोट पहुँचाने, नियंत्रित करने या डराने-धमकाने के लिए हिंसा का उपयोग करना, जैसे, किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से शारीरिक रूप से चोट पहुँचाना, चीज़ों को फेंकना या तोड़ना, या किसी को असुरक्षित महसूस कराने के लिए लापरवाही से गाड़ी चलाना।
* धमकियाँ देना जैसे, वीज़ा स्पॉन्सरशिप वापस लेने की धमकी देना, बच्चे को देश से बाहर ले जाने की धमकी देना।
* किसी को उसके दोस्तों, परिवार और समुदाय से अलग करना, उदाहरण के लिए, उसका फ़ोन छीन लेना ताकि वह परिवार और दोस्तों से संपर्क न कर सके।
* किसी की स्वतंत्रता और स्वावलंबन को सीमित करना या उनकी रोज़मर्रा की पसंद को नियंत्रित करना, जैसे, वे क्या पहन सकते हैं इसके बारे में नियम बनाना या उन्हें घर से बाहर निकलने या अकेले बाहर जाने से रोकना।
* किसी को पैसों की सुलभता या पैसे कमाने की उनकी क्षमता को नियंत्रित या सीमित करना, उदाहरण के लिए, उन्हें पैसे कमाने के लिए घर से बाहर काम करने की अनुमति न देना।

## इस परिभाषा के अन्तर्गत किस प्रकार के रिश्ते शामिल हैं?

घरेलू दुर्व्यवहार की कानूनी परिभाषा वहाँ लागू होगी जहाँ लोग निम्न स्थितियों में रहे हैं:

* किसी अंतरंग व्यक्तिगत संबंध में हैं (जिसमें विवाहित या वास्तविक(डिफ़ेक्टो) संबंध शामिल है), चाहे संबंध यौन प्रकृति का था या नहीं
* एक ही व्यक्ति के साथ अंतरंग संबंध, विवाह या डिफ़ेक्टो संबंध में रह रहे हैं(उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के पूर्व-साथी और वर्तमान साथी का कानूनन एक-दूसरे के साथ घरेलू संबंध होगा, भले ही वे कभी न मिले हों)
* एक ही घर में रहना
* वृद्ध देखभाल घरों जैसी दीर्घकालिक आवासीय सुविधाओं में रहना
* वैतनिक या अवैतनिक देखभाल वाले रिश्तों में आश्रित होना
* रिश्तेदार (यानी परिवार हैं)
* आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए, किसी व्यक्ति की संस्कृति की स्वदेशी रिश्तेदारी प्रणाली के अनुसार विस्तृत परिवार में या रिश्तेदार होना।

## मुझे अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?

<https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-2007-080> पर कानून के बारे में जानें

[www.nsw.gov.au/coercive-control](http://www.nsw.gov.au/coercive-control) पर बलपूर्वक नियंत्रण के बारे में जानें

## सहायता प्राप्त करें

यदि आप तत्काल ख़तरे में हैं, तो पुलिस को ट्रिपल ज़ीरो (000) पर कॉल करें।

यदि आप घरेलू दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं, तो सहायता के लिए 1800RESPECT से 1800 737 732 पर संपर्क करें या [1800respect.org.au](https://1800respect.org.au/) पर जाएँ।

यदि आप अपने व्यवहार को लेकर चिंतित हैं, तो मेन्स रेफ़रल सर्विस से 1300 766 491 पर संपर्क करें या सहायता के लिए [www.ntv.org.au/mrs](http://www.ntv.org.au/mrs/) पर जाएँ।

सहायता प्राप्त करने के तरीके के बारे में <https://www.nsw.gov.au/family-and-relationships/coercive-control/get-help>

पर अधिक जानें।